न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :—10 / 2025
GCMS NO:- 2025/187

दायर दिनांकः 26.6.2025
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

घासी आ0 माधो जाति मीणा नि. सुन्थली तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः—
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी वगै0।

निर्णय दिनांक 29.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सुन्थली प.म. सुवानिया के खाता संख्या 61 के अनुसार खसरा नम्बर 43 रकबा 0.7038 हैक्टयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 2.2976 हैक्टयर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भुमि की मेडो को तोडकर अवैद्य व अनाधिकृत रूप से आस पास के व्यक्तियां ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है जिससे प्रार्थी को अपने खाते की भूमि से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी अधिकार की भूमि का हल्का पटवारी सुवानिया से सीमाज्ञान भी करवाकर सीमा चिन्हित करवा ली है फिर भी भूमि के पडौसी प्रार्थी के खाते की भूमि की मेड तोडकर जबरन कब्जा कर रखा है तथा कहते है कि हम उक्त नाप से संतुष्ठ नही है इसलिए प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकार की भूमि की पत्थरगढी करवाकर भूमि की सीमा निर्धारित करवाना चाहते है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति, शपथ पत्र आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जो कि प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है, की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। चुंकि उक्त प्रार्थना पत्र एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही आधिपत्य व कब्जा काश्त होना बताया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सुन्थली प.म. सुवानिया के खाता संख्या 61 के अनुसार खसरा नम्बर 43 रकबा 0.7038 हैक्टयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 2.2976 हैक्टयर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ